न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/13/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/67

अपीलार्थी — **बनाम** — **प्रत्यर्थी**

श्री सन्तोष कुमार जैन
Retd. अति० प्रशासनिक अधिकारी (O.S.)
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर
निवास–B-140, अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी,
अलवर–301001 (राज.)

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 23.02.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 12.04.2022

1. अपीलार्थी अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 12.01.2022 के माध्यम से स्वयं की बकाया दो पदोन्नति क्रमशः "प्रशासनिक अधिकारी" एवं "संस्थापन अधिकारी" के संबंध में 01 लगायत 10 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा संबंधित अनुभाग के पत्र सं. 1003 दिनांकः 11.02.2022 के अनुसरण में पत्रांकः 350 दिनांकः 15.02.22 के माध्यम से किए गए विनिश्चय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रा०पत्र दिनांकः 21.02.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं किन्तु पत्र सं. 565 दिनांकः 03.03.22 के माध्यम से, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, जवाब नोटिस मय संलग्नक पेश किया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये तथ्यों व सूचना आवेदन दिनांकः 12.01.22 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किए गए विनिश्चय व अपील प्रा०पत्र दिनांकः 21.02.2022 के अनुसरण में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर पर गौर/मनन किए जाने पर **अपीलार्थी की स्वयं के दो बकाया प्रमोशन्स को लेकर परिवेदना/व्यथा परिलक्षित होती है** जिसका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के स्तर पर निस्तारण किया जाना संभव नहीं है। उक्त के अतिरिक्त सूचना आवेदन का समग्रतापूर्वक मनन किए जाने पर **वांछित सूचनाओं की विषयवस्तु** अत्यन्त विस्तृत, श्रमसाध्य, काल्पनिक/प्रश्नात्मक, भूतकाल/भविष्य की संभावनाओं पर लोक प्राधिकारी से राय स्वरूप, विविध कार्यालयों से एकत्रित/संक्रलित/सृजित कर उपलब्ध कराई जाने सूचना होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1)(बी) एवं धारा 7(9) के तहत देय नहीं है।
7. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
8. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 12.04.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर